संख्या : 13/21/89-का-1-1993

प्रेषक,

टी0 एस0 आर0 सुब्रमन्यन्,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1--समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन ।
2--समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक, 15 नवम्बर, 1993 ।

विषय : निलम्बित सरकारी सेवकों को शीघ्रातिशीघ्र आरोप पत्र दिया जाना ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

शासन की सदैव यह नीति रही है कि अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में शीघ्रता से अन्तिम निर्णय लिया जाय । अनुशासनिक कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिये आरोपित सरकारी सेवक को शीघ्र आरोप-पत्र दिया जाना आवश्यक है । शासनादेश सं0 13/13/92-का-1/1993, दिनांक 10 फरवरी, 1993 में यह निर्देश जारी किये गये है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी का, आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए, यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद् दण्ड देने का औचित्य होगा, वहां दो सप्ताह के भीतर आरोप-पत्र जारी कर दिया जाये और प्रत्येक दशा में, यथासम्भव आरोप पत्र बनाने के बाद ही निलम्बन किया जाय । पूर्व शासनादेश दिनांक 7-2-1970-का-1, दिनांक 18 जुलाई 1979 में भी यह निर्देश दिये गये हैं कि यथासम्भव निलम्बन के साथ ही आरोप पत्र दे दिया जाय, तथा जहां निलम्बन के आदेशों के साथ आरोप-पत्र देना संभव न हो वहां भी यथासम्भव निलम्बन के तीन सप्ताह के अन्दर आरोप-पत्र तामील करा दिया जाय ।

2--उपरोक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय मामलों में निलम्बन के साथ ही आरोप-पत्र नहीं दिया जाता है तथा निलम्बन के बाद तीन सप्ताह बीतने पर भी आरोप-पत्र की तामीली नहीं की जाती है । निलम्बन के आदेश जारी करने के पश्चात् लम्बे समय तक आरोप-पत्र तामील न कराने की स्थिति संतोष-जनक नहीं कही जा सकती है । अतः शासन द्वारा पुनः इस बात पर बल दिया जाता है कि यथासम्भव निलम्बन के अदेशों के साथ ही आरोप-पत्र दे दिया जाय और विशिष्टि मामलों में जहां निलम्बन के आदेशों के साथ आरोप-पत्र दिया जाना सम्भव न हो वहां भी शीघ्रातिशीघ्र (तीन सप्ताह के भीतर) आरोप-पत्र दे दिया जाय व अत्यन्त विशिष्ट मामलों में भी प्रत्येक दशा में यथासम्भव तीन मास के भीतर अवश्य आरोप-पत्र दे दिया जाय ।

3--कृपया ऐसे मामलों में उपरोक्त निदेशों का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,
टी0 एस0 आर0 सुब्रमन्यन,
मुख्य सचिव ।

संख्या : 13/21/89-का-1/93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1--समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
2--सचिव, राज्यपाल महोदय, उ0 प्र0 ।
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् ।
4--सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
5--सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उ0 प्र0, लखनऊ ।
6--निदेशक, उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
7--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
कालिका प्रसाद,
सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 26 सा0 नियुक्ति--(2569)--1993--6,000 (सेक0) ।